**न्यायालय–अवर न्यायाधीश द्वितीय, डुमरॉव**

**स्वत्व वाद सं0 238/2018**

शिवजीत राय वगै0 .....वादीगण।

बनाम्

लीलावती देवी..... प्रतिवादी।

**आदेश**

**21.03.2023** उभय पक्षों की हाजिरी है। आज अभिलेख प्रतिवादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक–30.07.2019 अन्तर्गत धारा 10 व्यवहार प्रकिया संहिता पर सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत है। इस आवेदन में प्रतिवादी का कहना है कि वादीगण द्वारा यह वाद प्रोवेट वाद सं0– 01/1989 जिला जज, भोजपुर (आरा) से सुलह के आधार पर जजमेंट एवं डिक्री के आधार पर अपना हक हकीयत घोषित करने हेतु दाखिल किया है। प्रतिवादी द्वारा प्रोवेट वाद सं0– 01/1989 में पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध जिला जज, बक्सर के समक्ष विविध वाद सं0 34/2017 इस आधार पर दाखिल किया गया है कि प्रोवेट वाद में दाखिल सुलहनामा पर मन मुदालेह द्वारा हस्ताक्षर या निशान नहीं बनाया गया है। विविध वाद सं0 34/17 में वादीगण उपस्थित होकर दिनांक– 15.06.2019 को अपना आपत्ति दाखिल कर चुके हैं । प्रोवेट वाद सं0– 01/2019 में पारित निर्णय दिनांक– 30.05.1992 एवं डिक्री दिनांक– 23.05.1992 प्रतिवादी द्वारा दाखिल विविध वाद सं0 34/2017 में विचाराधीन है, जिसमें वादी के द्वारा वर्तमान वाद कानूनतः पोषणीय नहीं है। अतः इस वाद के गवाह विविध वाद सं0 34/2017 के निष्पादन तक स्थगित रखा जाये।

वादीगण के तरफ से दिनांक– 18.09.1919 को इस आवेदन पर प्रतिउत्तर दाखिल कर उनका कहना है कि मुदालेह द्वारा दाखिल आवेदन कानूनतः पोषणीय नहीं है तथा वादीगण को परेशान करने की नियत से तथा इस वाद को विलम्ब करने के उद्देश्य से दाखिल किया गया है। वर्तमान मुकदमा 238/2018 तथा विविध वाद सं0 34/2017 दोनों वादों के अनुतोष में कोई समानता नहीं है तथा दोनों का विषय वस्तु भी भिन्न भिन्न है अतः धारा 10 व्यवहार प्रकिया संहिता का प्रावधान लागू नहीं होता है अतः प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक– 20.07.2019 को खर्चा के साथ खारिज किया जाये।

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह विदित होता है कि वर्तमान वाद में प्रतिवादी उपस्थित हो गये हैं तथा वर्तमान में यह वाद धारा 89 व्यवहार प्रकिया संहिता के अन्तर्गत सुनवाई हेतु नियत है। वादी द्वारा यह दिनांक– 09.07.

लगातार
21.03.2023

2018 को प्रतिवादी लीलावती देवी के विरूद्ध विवादित जमीन पर अपना हक हकीयत प्रोवेट वाद सं0– 01/1989 में पारित निर्णय के आधार पर घोषित करने हेतु यह वाद लाया गया है। प्रतिवादी लीलावती देवी के तरफ से विविध वाद सं0 34/2017 का अर्जी पत्र की छायाप्रति दाखिल किया गया है, जिसमें उनका अनुतोष है कि प्रोवेट वाद सं0 01/1989 में पारित निर्णय व डिक्री को विखंडित किया जाये। प्रतिवादी के तरफ से उक्त विविध वाद में इस वाद के वादीगण द्वारा दाखिल आपत्ति की छायाप्रति को भी दाखिल किया गया है। वादी के तरफ से प्रोवेट वाद सं0 01/1989 के आदेश फलक का सत्यापित प्रति, प्रोवेट केस नं0 73/1988 के अर्जी पत्र की छायाप्रति , इस वाद के प्रतिवादी लीलावती देवी द्वारा दाखिल कैवियठ अन्तर्गत धारा 284 इंडियन सक्सेशन अधिनियम की छायाप्रति, प्रोवेट वाद सं0 01/1989 में पारित डिक्री की छायाप्रति, प्रोवेट वाद सं0 01/1989 में दाखिल संयुक्त सुलहनामा की छायाप्रति, हाल सर्वे खतियान की सत्यापित प्रति दाखिल किया गया है।

उभय पक्षों को सुनने, अभिलेख के अवलोकन करने तथा अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने से यह प्रथमदृष्टया स्पष्ट होता है कि विविध वाद सं0 34/2017 एवं वर्तमान वाद सं0 238/2018 का पक्षकार तो एक ही हैं, परन्तु दोनों वाद में अनुतोष भिन्न भिन्न है। उक्त विविध वाद प्रोवेट वाद सं0–01/1989 में पारित निर्णय एवं डिक्री को शून्य घोषित करने हेतु लाया गया है। जब कि यह वर्तमान वाद वादीगण द्वारा प्रोवेट वाद सं0– 01/1989 में पारित निर्णय के आधार पर विवादित जमीन पर अपना हक हकीयत घोषित करने हेतु लाया गया है। अतः प्रतिवादी द्वारा दाखिल आवेदन धारा 10 व्यवहार प्रकिया संहिता के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है अतः प्रतिवादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक– 30.07.2019 को खारिज किया जाता है।

वास्ते दिनांक 6.6.23 वादी द्वारा दाखिल संशोधन आवेदन दिनांक– 16.09.2022 पर प्रतिउत्तर दाखिल करने हेतु।

लेखापित

सब जज द्वितीय, डुमरॉव